तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/3/26	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान [illegible] प्रार्थी [illegible] मद्दोरल्य [illegible] वकील [illegible] [illegible] होने से [illegible] आइन्दा दिनांक 8/4/26 को पेश हो।
8/4/26	रीडर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील अनु. मूल वाद खारिज होने से उक्त प्रार्थनापत्र चलने का कोई औचित्य नहीं। लिहाजा पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.10 10:31:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम
नियम 26
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर
उनवान

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गुलाम अली पुत्र सुरतान खां 2. दिलबर पुत्र सुरतान खां 3. सलमान खां पुत्र सुरतान खां जाति मुसलमान निवासी मिठवाणियो की बस्ती देरासर तहसील रामसर।		1. हुसैन खां पुत्र राजा खां 2. सुरतान खां पुत्र हुसैन खां 3. महेन्द्रा खां पत्र हुसैन खां 4. अरवाब खां पुत्र हुसैन खां 5. अली खा पुत्र हुसैन खां 6. नुर मोहम्मद पुत्र हुसैन खां 7. अदरूप पुत्र अमीन खां 8. अलाबचाया पुत्र जुमा 9. इदा पुत्र जीराज 10. जुमा पुत्र अमीन खां 11. पठान खां पुत्र अमीन खां 12. मजना पुत्र जीराज खां 13. रहमतुला पुत्र जीराज खं 14. सखी खां पुत्र सुमार खां 15. सुलेमान खां पुत्र अमीन खां 16. हकीमा पत्नि अमीन खां जाति मुसलमान निवासी मिठुवाणियो की बस्ती देरासर तहसील रामसर। 17. तहसीलदार रामसर एवं पदेन उपपंजीयक रामसर।

राजस्व आवेदन 70/2025 दिनांक 10.02.2025 अन्तर्गत धारा 212 राज0का0 अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.02.2025	प्रार्थी के वकील श्री रविन्द्र कुमार चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 10.02..2025 को पेश किया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील रामसर के राजस्व ग्राम मौजा **मिठुवाणियो की बस्ती पटवार मण्डल देरासर** के खेत खसरा संख्या 286 रकबा 0.1214 हेक्टयर तथा खेत खसरा संख्या 322 रकबा 11.0479 हेक्टयर तथा खेत खसरा संख्या 287 रकबा 25.5761 हेक्टयर में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से सात दिन के भीतर सम्मन जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 21.02.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर रामसर	
21/2/25	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] आदेश की तामील बकाई होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 21/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.10 10:31:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner